

निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

गि0न0 04/अपील/22

तारीख दायरा: 03.03.2022

भैरूलाल आ0 माधो जाति मेघवाल नि0 निपानियाउदा तहसील पचपहाड़ (अपीलान्त)
बनाम
राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार पचपहाड़ निर्णय दिनांक 16.11.2021
मिसल न0 1674

उपस्थित:- श्री आशीष गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्त
पेरोकार सरकार



—: निर्णय :-

दिनांक: 05.04.2022

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 16.11.2021 जो मिसल न0 1674 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम निपानियाउदा तहसील पचपहाड़ की आराजी ख0न0 36 रकबा 0.1264 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रारता पर अतिक्रमी मानकर 50/-रु0 शास्ती तथा 30 दिवरा के रिाविल कारावास की सजा से सजायाव किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना,केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी को हल्का पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट दू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प00 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना,केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी को हल्का पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है। अपीलान्त द्वारा आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर वेदखल की कार्यवाही की गई थी, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व वेदखली आदेश को यथापत रद्द हो गए अपीलान्त को दी गई सिविल कारावारा की राजा रो इरा शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेंगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक: 05.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़